Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to release prisoners who have served their prison terms and still languishing in jails in the country.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों के कारागार तथा केन्द्रीय कारागारों में कैदी सजा पूर्ण होने के उपरान्त भी जेलों में बंद हैं। ऐसे कैदी जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है एवं जो देशद्रोह के मामले में वांछित न हो, ऐसे कैदियों की प्रत्येक राज्यों के कारागारों तथा केन्द्रीय कारागारों में परीक्षण कराकर भारत सरकार द्वारा एक विशेष योजना बनाकर रिहा करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनकी सजा पूरी होने के बाद जानकारी के अभाव में या लावारिस होने के कारण जेलों में बंद हैं तथा अधिक उम्र के कैदियों को असाध्य बीमारी होने के कारण देखभाल व इलाज के अभाव में मृत्यु हो जाती है। सभी जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण मानवीय आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय कारागारों को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करता हूं।